

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:- प.55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2018/57383-393 दिनांक 28/06/18

प्रशासनिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण में शामिल राज्य के 191 शहरों में से 168 (113+40+9+1+4+1) शहरों के लिए जारी की गयी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/15328-15571 दिनांक 18.10.17, क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/4590-4634 दिनांक 26.10.17 एवं क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/24741 दिनांक 27.11.17, क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2018/8661 दिनांक 12.02.18, क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2018/27526-598 दिनांक 05.04.18, क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2018/41505-539 दिनांक 29.05.18 की निरन्तरता में उपरोक्त 168 शहरों में शामिल नाथद्वारा शहर में अतिरिक्त दो बावडियों के कार्य निम्नानुसार आवंटित राशि तक करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


S. N.	Town Name	District Name	Cost (₹ in Lakhs)		
			Bawaris	Contingency	Total
1	2	3	4	5	6
1	Nathdwara	Rajsamand	3.93	0.20	4.13
Total			3.93	0.20	4.13

नोट:-

1. उपरोक्त कार्य आवंटित राशि तक की सीमा में ही करवाये जावें।
2. उक्त कार्यों की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा जारी की जावेगी।
3. उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवाये जाने के उपरान्त कार्य करवाये जावें।
4. कार्य के एवज में भुगतान सम्बन्धित जिला कलक्टर के अनुमोदन के बाद किया जावे।
5. कार्य करवाते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

PTO

7. कार्यों के सम्बन्ध में समय-समय पर योजनान्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक-प.55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/फेजII/2018/57383-393

दिनांक 28/06/18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्रांक 1554 दिनांक 02.05.2018 के क्रम में।
5. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
6. जिला कलक्टर राजसमन्द को उनके पत्रांक 1556 दिनांक 21.03.2018 के क्रम में।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्वायत्त शासन विभाग, उदयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
9. आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा को उनके पत्रांक 2889 दिनांक 06.06.2018 के क्रम में।
10. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ निदेशालय।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता